

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संस्था - प्राविधिक शिक्षा परिषद सम्बद्धता/2022/7817

तारीख: दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय नाम:-

प्रखिला भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक वर्ष 2022-23 हेतु विद्यार्थी-संयुक्त तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2023-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से तयानित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/परीक्षा समता वृद्धि सहित अन्य मुद्दों पर विचार करते हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निचे गरी निर्णय के अनुसार नई संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिकतम प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाते हैं:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4490-THAKUR TEJ BAHADUR SINGH INSTITUTE OF TECHNOLOGY VILL-KARAMPUR, POST-KARAMPUR, SAIDPUR, GHAZIPUR

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/सी0पी0आई0 द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/सी0पी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, रीगुलेशन विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शास्त्रादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय वृत्तीय पाठ्यक्रमों हेतु रु0 20150.00/- प्रतिवर्ष/दो वर्षीय पारमसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पारमसी पाठ्यक्रम के प्रतिवर्ष) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शास्त्रादेश प्राणवी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कोस निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की सर्वोत्तम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शास्त्रादेशों के अनुसार नियोजन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

(Handwritten signature and stamp)

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/आदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, तत्पश्चात् प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का मान्य बनने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०आइ० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित रकमों को कटनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०आइ० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु सम्बन्ध-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशानुसार अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ सरक्षा को अपने वेबसाइट पर सत्या की सम्बन्ध सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक चूमि, भूमि, स्टाफ, राज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ सत्या को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शिफ्ट रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सत्या का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/अंशजित कार्यक्रम को अंशजित हेतु निरीक्षण समिति के सत्या उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-पत्र, फनीचर, उपकरण सुलभता का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल सत्या की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सत्या के उच्चतम स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि सत्या से भूनि, भवन, पर्यावरण, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०आइ० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो सत्या की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता पत्रों का अनुपालन न किये जाने अथवा धर्ती का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

[Signature]

(ए०आर० खान)



सचिव

पू०सं०- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि:

संयोजक, विनिदेशक, THAKUR TEJ BAHADUR SINGH INSTITUTE OF TECHNOLOGY VILL-KARAMPUR, POST-KARAMPUR, SAIDPUR, GHAZIPUR

[Signature]

(ए०आर० खान)

सचिव

